न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –258 / 2023

1. सन्तो देवी पत्नी रजीराम जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. अर्जुनराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
2. अमरसिंह पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
3. भालाराम पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
4. गुगनराम पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **सायल**
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता गैरसायल स0 1 व 2
श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता गैरसायल स0 3 व 4

निर्णय दिनांकः 20/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 262 / 3 के खसरा न0 496 / 152 की 1.5256 हैक्ट भूमि सायला के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि सिविल न्यायालय के आदेश से सायला के नाम दर्ज हुई है तथा सायला अपनी भूमि पर काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जो की सायला के पड़ौसी काश्तकार है सायला को परेशान एवं तंग करते है तथा जबरिया सींव डोल तोड़कर खसरा न0 496 / 152 में दखल अंदाजी करते है तथा सायला के कब्जा काश्त में प्रवेश कर दखल देने की कोशिश करते है एवं सायला की भूमि पर काबिज होना चाहता है यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायला को भारी नुकशान होगा तथा मुकदमेबाजी बढेगी इसलिए सायला गैरसायल संख्या 1 ता 4 को अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवा पाने के अधिकारी है कि वे रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–80 के खाता संख्या 262 / 3 के खसरा न0 496 / 152 की 1.5256 हैक्ट भूमि में सींव डोल को न तोड़े, वादीया के कब्जा काश्त की भूमि में प्रवेश न करे तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई कि अप्रार्थीगण [illegible] नोहर के खाता संख्या 262 / 3 के खसरा न0 496 / 152 की 1.5256 हैक्ट [illegible] में [illegible] के रिकार्ड में धारित रकबे में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे, [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:21:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया की सायला ने उक्त भूमि विधि विरूद्ध रूप से अपने नाम दर्ज करवा ली है जिसका रिव्यु प्रार्थना पत्र उत्तरदाता द्वारा तहसीलदार राजस्व नोहर के न्यायालय हाजा मे जैरकार है। उक्त भूमि सिविल न्यायालय के आदेश के अनुसार सायला ने अपने नाम दर्ज नही करवायी है जबकि तथ्य छुपाकर विधि विरूद्ध तरीके से अपने नाम नामान्तरण संख्या 1236 दर्ज करवाया है। वादीया का उक्त वाद भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है इस आधार पर सायला किसी भी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने की अधिकारी नही है इसलिए प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है। रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 3 के कुल खसरे 3 की 8.5350 है0 भूमि मुश्तरका भूमि जो कि प्रार्थीयान व प्रार्थीयान के भाई गुगनराम पुत्र भूराराम की मुश्तरका भूमि है जिसमें सभी का 1/3–1/3 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी जिसमें से प्रार्थी के भाई गुगनराम पुत्र भूराराम ने एक इकरारनामा दिनांक 27.07.2016 को खसरा नं. 152 की कुल 4.577 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि संतो देवी पत्नी रजीराम जाति जाट निवासी चैनपुरा के साथ किया जिसमें तारीख रजिस्ट्री 01.01. 2017 मुकर्र थी इस मुरर्र तारीख को रजिस्ट्री नहीं हुई जिसके पश्चात दीवानी दावा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01 में बाद सुनवाई दिनांक 16.09.2019 को निर्णित हुआ जिसमें न्यायालय द्वारा मुताबिक इकरारनामा वाद संख्या 05/2017 डिक्री किया गया जिसके अनुसार उक्त भूमि खसरा नं. 152 की कुल 4.577 है0 बारानी भूमि में से 1/3 हिस्सा यानी 1.5256 है0 अर्थात 6 बीघा 00.3/5 बीस्वा खातेदारी कृषि भूमि जो कि गुगनराम के दर्ज भूमि थी का बैयनामा वादीया संतो देवी पत्नी रजीराम जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर के हक में निष्पादित कर पंजीकृत करवाने की डिक्री पारीत की गई। उक्त अनुसार सन्तो देवी बनाम गुगनराम अनवानी दावा की डिक्री होने के पश्चात प्रतिवादी गुगनराम ने बैयनामा रजिस्ट्री वादीया सन्तो देवी के पक्ष में नहीं करवाई जिसकी पालना न्यायालय द्वारा करवाई गई जिसमें जो बैयनामा का प्रारूप वादीया से न्यायालय द्वारा मांगा गया उसमें भी खसरा नं. 152 की कुल 4. 577 है0 बारानी भूमि में से 1/3 हिस्सा यानी 1.5256 है0 अर्थात 6 बीघा 00.3/5 बीस्वा भूमि अंकित है उसके पश्चात वर वक्त बैयनामा पंजीयन बैयनामा के द्वितीय पृष्ठ की पंक्ति संख्या 8 में यह अंकित किया गया कि रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 4/5 की 8.535 है0 भूमि में से भूमि खसरा नं. 152 की कुल 4.577 है0 बारानी भूमि में से गुगनराम का सम्पूर्ण हिस्सा 1.5256 हिस्सा बारानी भूमि जिसके उत्तर दिशा में अमरसिंह दक्षिण दिशा में हीरालाल भूकर पूर्व में जयलाल राहड़ व पश्चिम दिशा में सरकारी भूमि अर्थात 06 बीघा 00.3/5 बिस्वा कृषि भूमि का यह बैयनामा/विक्रय अभिलेख निष्पादित करता हूँ बैयनामा में अंकित है जो कि माननीय न्यायालय की डिक्री के अनुरूप नहीं होकर दर्ज हुआ है जिसकी वजह से बैयनामा रजिस्ट्री दिनांक 17.08.2023 वर वक्त नामान्तरण पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण संख्या 1236 दिनांक 12. 09.2023 को दर्ज किया गया जो कि दिनांक 13.09.2023 को मंजूर हुआ जिसमें 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज नहीं की जाकर प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि वरवक्त तरमीम सन्तो देवी पत्नी रजीराम के नाम गलत दर्ज कर दी गई जिसका रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 29.09.2023 से तहसीलदार राजस्व नोहर के न्यायालय में जैरकार है जिसमें आगामी तारीख पेशी 02.11.2023 को मुकर्र है एवं प्रार्थना पत्र अन्त[illegible] सीपीसी न्यायालय हाजा अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01 नोहर में जैरकार है जि[illegible] तारीख पेशी दिनांक 07.10.23 मुकर्र थी जिस पर वादीया सन्तो देवी व [illegible] न्यायालय में हाजिर हुए उसके पश्चात सन्तो देवी पत्नी रजीराम द्वारा तथ्यों को छिपाते [illegible] राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुई भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:21:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

फायदा उठाकर पहला दावा होने का गलत शपथ–पत्र के साथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर में दिनांक 13.10.2023 को एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया (जबकि पहले से न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01 नोहर में प्रार्थना पत्र अमरसिंह बनाम सन्तो देवी जैरकार था व सन्तो देवी के जवाब हेतु दिनांक 16.10.2023 मुकर्र थी) जिसमें प्रार्थीयान को पड़ोसी काश्तकार दिखाकर प्रार्थीयान के द्वारा काश्त की जा रही भूमि खसरा नं. 496/152 की 1.5256 है0 भूमि रिकार्ड में अंकित रकबे में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करने व जबरिया प्रवेश नहीं करने की प्रार्थीया के गलत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई जिसका गलत प्रयोग कर पुलिस थाना नोहर में एक परिवाद पेश कर पुलिस बल के दम पर प्रार्थी के द्वारा बोई गई फसल जो कि पक कर तैयार है उसकी कटाई व आधी भूमि जिसमें बुआई की गई है उसमें भी प्रवेश के लिए पाबंद किया जाकर प्रार्थी की फसल व भूमि हड़पने का प्रयास किया जा रहा है जिस भूमि पर प्रार्थी वर्षो से कब्जा काश्त करता चला आ रहा है तथा अपने खर्चे पर समतल व उपजाऊ बनाया है। इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारीज योग्य हैं। रोही मौजा चैनपुरा के भूमि खसरा नं. 152 की कुल 4.577 है0 बारानी भूमि जिसमें सन्तो देवी 1/3 हिस्सा की सहखातेदारी भूमि दर्ज होनी थी जो प्रार्थी अमरसिंह की उतर दिशा में गुगनराम के हिस्सा की भूमि काफी वर्षो से उदराम पुत्र राममस्वरूप स्वामी हिस्से व ठेके पर काश्त करता चला आ रहा है जिसमें वर्तमान में नरमा की फसल काश्त की हुई है जबकि प्रार्थी की कब्जाशुदा व समतल की हुई उपजाऊ भूमि जिसमें प्रार्थीयान अर्सा दराज से शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है जिसका राजस्व रिकार्ड में जो हिस्सा सन्तो देवी के नाम से तरमीम किया गया है उस भूमि पर प्रार्थी अमरसिंह की गवार की फसल काश्त की हुई है जो पूर्णरूप से पक कर तैयार जिसकी कटाई की जानी है जिस पर स्थगन की आड़ में लालचवश सन्तो देवी द्वारा गैरसायल संख्या 2 के द्वारा बोई गई फसल व भूमि को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है यदि ऐसा हो गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी सूरत में नहीं हो पायेगी। इसलिए प्रार्थना पत्र सायला खारीज फरमाया जावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

पत्रावली के गहन अध्ययन के उपरान्त हम इस नतीजे पर पहूंचे है विवादित अराजी के स्वामित्व का अधिकार मूल दावे में तय होने है। प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 262/3 की कुल 1. 5256 हैक्ट भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 नोहर द्वारा पारित डिक्री में उक्त वाद भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादीया के पक्ष में निष्पादित की गयी है। अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के संयुक्त खाता में दर्ज [illegible] के कब्जा काश्त की भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज कर प्रार्थीया का खाता अलग [illegible] गया जो कि विधि विरूद्ध है। उक्त इंतकाल के रिव्यु हेतु तहसीलदार नोहर के [illegible] जैरकार है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बैयनामे के मुताबिक उक्त वाद भूमि गुगनराम द्वारा सन्तो देवी को बेचान की

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:21:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गई है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण स0 1236 दिनांक 12.09.2023 के अनुसार उक्त वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज भूमि थी। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तहसीलदार नोहर के जैरकार रिव्यु प्रार्थना से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त वाद भूमि के संबंध में रिव्यु प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर के जैरकार है तथा माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश नोहर में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152, 153 सीपीसी द्वारा भी प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित है कि दिनांक 18.08.2023 को निष्पादित बैयनामा में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 व 153 सीपीसी प्रार्थना जैरकार है। प्रार्थीया उक्त वाद भूमि की रिकार्डेड खातेदार है । लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार नोहर के समक्ष प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र एवं माननीय न्यायालय अपर जिला सेशन न्यायाधीश नोहर के समक्ष 151, 152, 153 सीपीसी का प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु अप्रार्थीगण को पूर्ण रूप से पाबंद किया जाना प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन व प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त आंशिक रूप से प्रार्थीया के पक्ष में बन रहा है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम काबिल आंशिक स्वीकार होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 262/3 के खसरा न0 496/152 की 1.5256 हैक्ट भूमि में प्रार्थीया के रिकॉर्ड में धारित रकबे की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। उक्त स्थगन आदेश तहसीलदार नोहर के जैरकार रिव्यु प्रार्थना पत्र एवं अन्य न्यायालय में विचाराधीन वाद/प्रार्थना पत्र पर लागु नही होगा। तहसीलदार नोहर रिव्यु प्रार्थना पत्र पर निर्णय/आदेश करने एवं पारित आदेश की पालना करवाने हेतु स्वतंत्र है।। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20/12/23 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:21:18 IST
Reason: SelfAttested